न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : प्रकीर्ण 22/2013 बाबू वगैरह बनाम रुकमणी वगैरह

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3-1-18	पत्रावली पेश हुई बवुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील श्री आर.के. वर्मा ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया। शामिल मिसल रहे। वास्ते बहस दिनांक 22-1-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
22-1-18	पत्रावली पेश हुई बवुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31-1-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
31-1-18	पत्रावली पेश हुई बवुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। नियमानुसार प्रार्थना पत्र की कार्यवाही ड्राप की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 31-1-18 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 22/2013

1. नाथू पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम मण्डोर, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (मृतक)।
   1/1 सुमन पत्नी नाथू, जाति–गुर्जर, नि0–मण्डोर, तह0–फागी, जयपुर।
   1/2 गीताराम दत्तक पुत्र नाथू, जाति–गुर्जर, नि0–मण्डोर, तह0–फागी।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रूकमणी देवी पत्नी स्व0 श्री रामकरण, जाति–बलाई, निवासी–मकान नं0–73, अशोकपुरा, अम्बेडकर कॉलोनी, सोडाला, जयपुर।
2. प्रिया पुत्री स्व0 श्री रामकरण, जाति–बलाई, निवासी–मकान नं0–73, अशोकपुरा, अम्बेडकर कॉलोनी, सोडाला, जयपुर।
3. पूजा पुत्री स्व0 श्री रामकरण, जाति–बलाई, निवासी–मकान नं0–73, अशोकपुरा, अम्बेडकर कॉलोनी, सोडाला, जयपुर।
4. मोतीराम पुत्र श्री नारू उर्फ नारा, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4, झाग स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/1 छोटी पत्नी स्व0 श्री मोतीराम, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4 झाग स्टेण्ड, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/2 चमन पुत्र स्व0 श्री मोतीराम, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4 झाग स्टेण्ड, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/3 मोहन पुत्र स्व0 श्री मोतीराम, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4 झाग स्टेण्ड, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/4 गजानन्द पुत्र स्व0 श्री मोतीराम, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4 झाग स्टेण्ड, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/5 प्रेम पुत्री स्व0 श्री मोतीराम, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4 झाग स्टेण्ड, बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
5. गोपाल पुत्र नारू उर्फ नारा, जाति–बलाई, निवासी–प्लाट नं0–4, झाग स्टेण्ड बगरू, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
6. ग्राम पंचायत–मण्डोर, पंचायत समिति–फागी, जिला–जयपुर।
7. किशनलाल पुत्र श्री कालूराम, जाति–गुर्जर, निवासी–ग्राम मण्डोर, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्त्तागण

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 बमिसल पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत मण्डोर, दिनांक 05.09.1990 मिसल सं0 141 एवं इसके अनुसरण में जारी किया पट्टा सं0 11)

उपस्थितिः–

1. श्री देवीपाल सिंह, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित।
2. श्री नारायण सिंह चौहान, अभिभाषक, निगरानीकर्त्ता के वारिसान की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर दाधीच, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं. 5 व 6 की ओर से।
4. श्री आर.के. वर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं. 7 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 31.01.2018**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत–मण्डोर ने प्रस्ताव सं0 7 दिनांक 05.09.1990 द्वारा मोतीराम, रामकरण, गोपाल पुत्र नारू, जाति–बलाई, निवासी–मण्डोर को 410 वर्गगज भूमि का पट्टा 1/– रू0 प्रति वर्गगज की दर से देने का निर्णय लिया हैं, जिसके अनुसरण में पट्टा सं0 11 दिनांक 05.09.1990 मोतीराम, रामकरण, गोपाल पुत्र नारू के हक में जारी किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में गैर–निगरानीकर्त्ता सं0–5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि निगरानीकर्त्ता नाथू की मृत्यु हो चुकी हैं। उसके वारिस निगरानी प्रार्थना पत्र आगे नही चलाना चाहते हैं। किशनलाल ने जरिये इकरारनामा क्रय किया जाना जाहिर किया हैं, उसे इकरारनामें के आधार पर पक्षकार विधि विरूद्ध संयोजित किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाया जावे और निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता देहन्दा–गैर–निगरानीकार सं0 5 के विद्वान् अभिभाषक श्री चन्द्रशेखर दाधीच का कथन हैं कि निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2013 को प्रस्तुत किया गया हैं, दिनांक 08.09.2016 को निगरानीकर्त्ता की मृत्यु हो चुकी हैं तथा दिनांक 17.10.2016 को मृतक नाथू गुर्जर के वारिसान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। दिनांक 17.10.2016 को ही किशनलाल गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें वादग्रस्त आराजी को जरिये इकरारनामा क्रय किये जाने से न्यायालय द्वारा पक्षकार संयोजित किया

हैं जिसमें यह कथन किया गया हैं कि निगरानीकर्त्ता नाथू ने वादग्रस्त आराजी को 13.04.2013 को जरिये इकरारनामा किशनलाल गुर्जर को विक्रय कर दी थी। इस सम्बन्ध में कथन हैं कि जब निगरानी प्रार्थना पत्र ही दिनांक 28.05.2013 को निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं तो निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2013 से पूर्व दिनांक 13.04.2013 को अर्थात् 45 दिन पूर्व विक्रय किये जाने की कल्पना कैसे की जा सकती हैं ? स्पष्ट हैं कि किशनलाल ने अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या व बनावटी तथ्य अंकित किये हैं और मिथ्या व बनावटी तथ्यों के आधार पर किशनलाल को पक्षकार संयोजित करना अनुचित हैं। इकरारनामें के आधार पर स्वामित्व संबधी विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि कोई पक्ष किसी इकरारनामें के आधार पर अपना अधिकार बताता हैं तो उसे विशिष्ट अनुपालन हेतु सक्षम न्यायालय में विधि सम्वत् कार्यवाही करनी चाहिए। विचारण निगरानी में ग्राम पंचायत–मण्डोर द्वारा दिनांक 05.09.1990 को मिसल संख्या 141 में पारित आदेश एवं उसकी अनुपालना में जारी पट्टा सं0 11 बाबत् अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसकी वैधानिकता का निर्धारण किया जाना हैं, जिसके निस्तारण हेतु इकरारनामा के क्रेता को पक्षकार बनाकर उसे सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं हैं। किसी भी प्रकरण को वादी/निगरानीकर्त्ता/अपीलान्ट् की इच्छा के विरूद्ध नहीं चलाया जा सकता हैं। किसी व्यक्ति विशेष को किसी आदेश से पीडा हो तो वह स्वतन्त्र कार्यवाही करे। विचारण प्रकरण में बिना सक्षम अधिकारिता के पक्षकार बनकर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बनना अनुचित हैं। इकरारनामा का क्रेता किशनलाल ना तो निगरानीकर्त्ता का कायम–मुकाम हैं तथा ना ही उसका वादग्रस्त भू–खण्ड से कोई संबध हैं तथा ना ही नाथू गुर्जर द्वारा कोई इकरारनामा किया हैं, फर्जी इकरारनामे के आधार पर भू–खण्ड को हड़पना चाहता हैं और तथाकथित इकरारनामा दिनांक 13.04.2013 से क्रेता किशनलाल को प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यदि उसे इकरारनामा के आधार पर अपने अधिकारो की धोषणा करानी हैं तो पहले सक्षम न्यायालय में इस हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही करे एवं पहले धोषणा करावे। बिना तथाकथित इकरारनामा की पालना कराये एवं बिना धोषणा कराये, किशनलाल को प्रश्नगत प्रकरण में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वस्तुतः इकरारनामा के क्रेता किशनलाल को इस निगरानी के

लिए कोई वादकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ हैं। इस कारण भी उक्त निगरानी इसी स्तर पर तत्काल खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण बार्ड बाई लॉ एवं वादकारण के अभाव में होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

किशनलाल गुर्जर के विद्वान् अभिभाषक श्री आर.के. वर्मा का कथन हैं कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता देहन्दा–गैरनिगरानीकार सं0 5 के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन कि निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2013 को प्रस्तुत किया गया हैं, तो निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2013 से पूर्व दिनांक 13.04.2013 को अर्थात् 45 दिन पूर्व विक्रय किये जाने की कल्पना कैसे की जा सकती हैं, गलत रूप से प्रस्तुत किया गया हैं सही तथ्य तो यह हैं कि किशनलाल गुर्जर द्वारा वादग्रस्त भू–खण्ड को जरिये इकरारनामा दिनांक 13.04.2013 क्रय कर लिया था। निगरानी प्रार्थना पत्र की पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु नाथू की मृत्यु होने पर नाथू की बैठक में नाथू के धर जाने पर नाथू के वारिसान से निगरानी की जानकारी हुई। तत्पश्चात् ही निगरानी में पक्षकार बनने हेतु विधिवत् माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर किशनलाल को सद्भाविक पक्षकार स्वीकार करते हुए पक्षकार संयोजित करने की दिनांक 06.12.2016 को आज्ञा पारित की हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाये जाने की आज्ञा विधि के प्रावधानो के अनुकुल पारित की गई हैं जो किसी भी प्रकार से विधि के प्रावधानो के विपरित नही हैं। इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय की आज्ञा दिनांक 06.12.2016 से किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हैं तो उसे विधिक प्रावधानो के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी। यहॉ यह भी कथन करना समीचीन हैं कि वादग्रस्त भू–खण्ड को जरिये इकरारनामें के आधार पर क्रय करने के विशिष्ठ अनुपालन का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, दूदू में दायर कर रखा हैं। निगरानी में विवादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये इकरारनामें से ही किशनलाल के वादग्रस्त सम्पत्ति में समस्त विधिक अधिकार उत्पन्न हुये हैं। निगरानी अधीन आज्ञा व पट्टा विधि विरूद्ध हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण पक्षकारों

की विधिवत सुनवाई के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। गैर–निगरानीकार सं0 5 के विद्वान् अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया हैं कि नाथू के वारिसान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में आगामी कार्यवाही न चलाने व पत्रावली को विड्रो करने बाबत् प्रस्तुत किया गया हैं जबकि नाथू के वारिसान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विड्रा करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई हैं। मूल निगरानीकर्त्ता नाथू गुर्जर जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं उसके वारिसान द्वारा गैर–निगरानीकर्त्ता को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से दुरभि संधि कर निगरानी को विड्रा करने की प्रार्थना की गई हैं जिससे स्पष्ट हैं कि किशनलाल को उसके अधिकारो से वंचित करने के लिए षड़यन्त्रपूर्वक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं, जो अवैध होने से खारिज योग्य हैं। गैर–निगरानीकर्त्ता के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन भी सारहीन हैं कि किशनलाल गुर्जर का निगरानी में कोई वादकरण उत्पन्न नही होता हैं और इकरारनामा फर्जी तौर पर निष्पादित कराया गया हैं जिससे किशनलाल का किसी प्रकार से अधिकार नहीं बनता हैं जबकि वास्तविकता यह हैं कि वादग्रस्त सम्पत्ति में वादकरण मुख्य निगरानीकर्त्ता नाथू गुर्जर के साथ किये गये इकरारनामें से ही उसके अधिकार उत्पन्न व वादकारण उत्पन्न होता हैं। विचारण न्यायालय को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं हैं कि इकरारनामा फर्जी या कूटरचित हैं या नहीं। इसका क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को खारिज फरमाया जावे। निगरानी का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता देहन्दा–गैर–निगरानीकर्त्ता सं0 5 के विद्वान् अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तीन बिन्दु कथन किये गये हैं। (1) इकरारनामें के आधार पर किशनलाल गुर्जर इकरारनामें के आधार पर पक्षकार संयोजित करना अवैध हैं (2) वादी/निगरानीकर्त्ता/अपीलान्ट् की इच्छा के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं चलाया जा सकता हैं (3) निगरानीकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् वारिसान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रथम बिन्दु कि इकरारनामे के आधार पर किशनलाल गुर्जर को

पक्षकार संयोजित करना अवैध हैं, कथन से हम सहमत नही हैं। प्रार्थना पत्र पर उभय–पक्षों को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर पक्षकार संयोजित किया गया हैं, यदि पक्षकार संयोजित किये जाने की आज्ञा से कोई पीडित हैं तो पीडित को सक्षम न्यायालय में चाराजोई की जानी चाहिए। द्वितीय व तृतीय बिन्दु कि वादी/निगरानीकर्त्ता/अपीलान्ट् की इच्छा के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं चलाया जा सकता, निगरानीकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् वारिसान् द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता हैं कि इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं हैं कि निगरानीकर्त्ता की मृत्यु हो चुकी हैं, निगरानीकर्त्ता मृतक के वारिसान सुमन व गीताराम गुर्जर हैं और वारिसान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जब पत्रावली पर निर्विवाद रूप से यह तथ्य हैं कि निगरानीकर्त्ता की मृत्यु हो चुकी हैं और निगरानीकर्त्ता के वारिसान निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जबकि हितबद्व व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हैं और हितबद्ध मृतक के वारिसान निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाना चाहते हैं तो निगरानी अधीन आज्ञा सम्बन्धी अभिलेख को ग्राम पंचायत से मंगाकर परीक्षण किया जाना न्याय–संगत नही पाते हैं। यदि वादग्रस्त भू–खण्ड से किसी का हित उत्पन्न होता हैं तो विधिक प्रक्रिया अधीन वादग्रस्त भू–खण्ड सम्बन्धी ग्राम पंचायत की कार्यवाही को चुनौती दिये जाने हेतु स्वतन्त्र हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता हैं। निगरानीकर्त्ता की मृत्यु होने तथा मृतक के वारिसान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाने की इस्तदुआ किये जाने से निगरानी प्रार्थना पत्र की कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर